

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा

21 दिसम्बर, 2022 (ई०)

बुधवार, तिथि-

[दशम् (शीतकालीन) सत्र]

30 अग्रहायण, 1944 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

प्रारम्भिक-कार्य

(01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

(02)- अल्प-सूचित प्रश्न तथा उनके उत्तर।

(03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

-: ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उस पर सरकार का वक्तव्य :-

(04)- श्री नलिन सोरेन, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-20-12-2022 से स्थगित)

(05)- श्री बिरंची नारायण, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-20-12-2022 से स्थगित)

(06)- श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-20-12-2022 से स्थगित)

(07)- डॉ० लम्बोदर महतो, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (वित्त विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-20-12-2022 से स्थगित)

(08)- सर्वश्री सुदिव्य कुमार, मथुरा प्रसाद महतो एवं श्री सुखराम उराँव, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-20-12-2022 से स्थगित)

(09)- श्री सरयू राय, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

कृ०पृ०३०.....

-: 02 :-

- (10)-सर्वश्री मथुरा प्रसाद महतो, नलिन सोरेन एवं श्री उमाशंकर अकेला, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार(कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (11)-श्री दशरथ गागराई, स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (12)- श्री कमलेश कुमार सिंह,स0वि0स0की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (13)-श्रीमती शिल्पी नेहा तिकी, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

-: समितियों का गठन :-

- (14)- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

-: सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

- (15)-प्रभारी मंत्री,कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा “पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम, 2002” की धारा-14 के अधीन वित्तीय वर्ष 2020-21 अवधि 01-04-2020 से 31-03-2021 एवं वित्तीय वर्ष-2021-22 अवधि 01-04-2021 से 31-03-2022 तक का वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति का सभा पटल पर रखा जाना।
- (16)-प्रभारी मंत्री,कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड अन्तर्गत आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की सीधी नियुक्ति में झारखण्ड राज्य की महिलाओं को 50% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के निमित्त“झारखण्ड राज्य कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति/प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली,2017” से आच्छादित शिक्षकों के पद को “झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम,2001”के दायरे से बाहर करने से संबंधित संकल्प की प्रति का सभा पटल पर रखा जाना।
- (17)- झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (18)- याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

-: वित्तीय-कार्य :-

- (19)- वित्तीय वर्ष 2022-23 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की माँगों पर वाद-विवाद सरकार का उत्तर तथा मतदान।
(कटौती प्रस्तावों की सूची अलग से वितरित की जा रही है।)

कृ०पृ०३०.....

-: राजकीय (वित्त) विधेयक :-

“झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक, 2022”

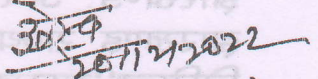
- (20)- वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० रामेश्वर उराँव, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक, 2022” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (21)- वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० रामेश्वर उराँव, उपर्युक्त विधेयक (को) पुरःस्थापित करेंगे।
- (22)- वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० रामेश्वर उराँव, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक, 2022” पर विचार हो।
- (23)- वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० रामेश्वर उराँव, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक, 2022” स्वीकृत हो।
- (24)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

सैयद जावेद हैदर

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:- कार्य०का०सू०-08/2022-2431/वि०स०, राँची, दिनांक- 20.11.22.....
प्रतिलिपि:- माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान-सभा, राँची/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव, झारखण्ड/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ लोकसभा, नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

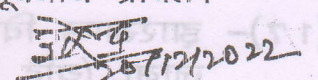

(हरेन्द्र कुमार साह)

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:- कार्य०का०सू०-08/2022-2434/वि०स०, राँची, दिनांक- 20.11.22.....

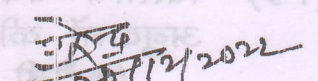
प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।


उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

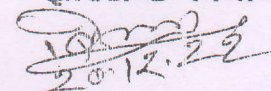
ज्ञाप संख्या:- कार्य०का०सू०-08/2022-2434/वि०स०, राँची, दिनांक- 20.11.22.....

प्रतिलिपि:- झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/पुस्तकालय शाखा, जनसम्पर्क शाखा एवं झारखण्ड विधान-सभा टी०वी० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

गोपी कृष्ण भगत


20.12.22